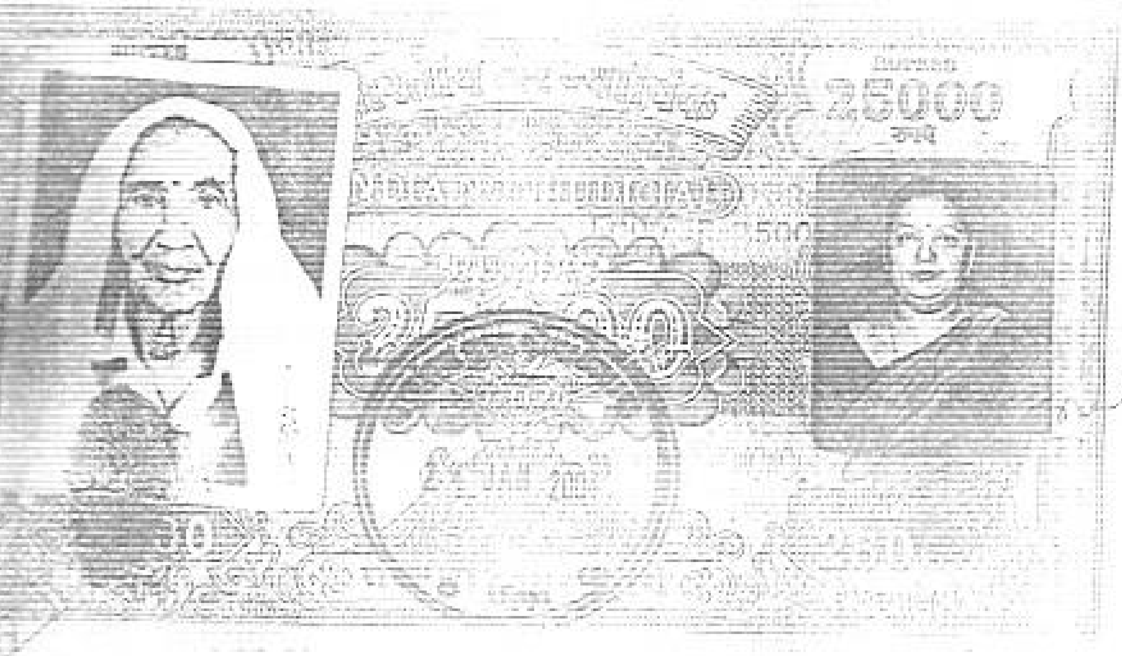

विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन 6,43,460/- रुपये लेकिन स्टाम्प [illegible] कानूनों का लिहाज रखते हुये सर्किल रेट के अनुसार अंकन 7,38,000/- रूपये की मालियत पर अदा किया जा रहा है।

स्टाम्प शुल्क 73,800/- रूपये ।।

विक्रीत भूमि स्थित खसरा न0 2113 रकबई 0.544 हैक्टे0, खसरा न0 2114 रकबई 0.089 हैक्टे0, खसरा न0 2116 रकबई 0.329 हैक्टे0, खसरा न0 2117 रकबई 0.379 हैक्टे कुल खसरा नम्बरान चार कुल रकबई 1.341 हैक्टे0 स्थित [illegible] ग्राम नूरनगर परगना व तहसील व जिला [illegible] है जिसका सर्किल रेट 11,00,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर है। जो निर्धारित मूल्यांकन [illegible] जिलाधिकारी महोदय द्वारा [illegible] हेतु निर्धारित [illegible] है।

क्रमशः 2

रोकड़िया
कोषागार, इन्दौर

2116 रकबई 0.329

341 हैक्टेयर स्थित

पूर्ण स्वामी के रूप में

1950 से 15.1.1999

(3)

विक्रय पत्र और दो श्रीमती [illegible] पत्नी [illegible] निवासी ग्राम नूरनगर परगना तहसील व जिला मेरठ है।

जो कि भूमि खसरा न0 2113 रकबई 0.544 हैक्टे0, खसरा न0 2114 रकबई 0.089 हैक्टे0, खसरा न0 2116 रकबई 0.329 हैक्टे0, खसरा न0 2117 रकबई 0.379 हैक्टे0 कुल खसरा नम्बरान चार कुल रकबई 1.341 हैक्टे0 स्थित कुरबा मेरठ निकट ग्राम नूरनगर, परगना तहसील व जिला मेरठ के एक बटा दो भाग की काश्तकार भूमिधर एवं विक्रयाधिकारी विक्रेती [illegible] समस्त राजस्व अभिलेखों में विक्रेती का नाम पूर्ण स्वामी के रूप में अंकित है। इस भूमि को विक्रय करने का अनुबन्ध मुझ विक्रेती ने दिनांक 26.06.1999 व 15.12.1999 को मैसर्स [illegible] 33, [illegible] मार्किट [illegible] मेरठ से किया था। और अपना समस्त विक्रय मूल्य पूर्व में [illegible]

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES

Rs.20000 Rs.20000

0JCC 4753?4

भिन्न-भिन्न समय पर प्राप्त कर लिया है। केवल क्रेता की कार्यवाही शेष रह गई थी। मेरा कोई किसी धन क्रेता या किसी की ओर शेष नहीं है। तथा मैं उपरोक्त फर्म के निर्देशों के अनुसार विक्रय पत्र करने के लिये विधिक व नैतिक रूप से बाध्य हूँ, और अब फर्म मैसर्स अग्रवाल एन्टरप्राईजेज ने बैनामा अपनी पार्टनर के पक्ष में निष्पादित कराने की इच्छा की है।

विक्रीत भूमि आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार आदि से मुक्त एवं [illegible] जिसकी जमानत पर मुझ विक्रेता ने कोई ऋण किसी बैंक, संस्था या व्यक्ति से प्राप्त नहीं किया है। और मुझ विक्रेता को काश्तकार व भूमिधर होने से उक्त उपरोक्त भूमि को विक्रय आदि द्वारा हस्तांतरित करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं जिसको विक्रय करने में कोई कानूनी दोष बाधक नहीं है उपरोक्त भूमि को केवल मबलग रुपये 6,43,480/-(छः लाख तैंतालिस हजार चार सौ अस्सी रुपये) के उपलक्ष्य में हमने श्रीमती मधु

क्रमशः 4

उप निबन्धक

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

887840 [illegible]

[illegible] श्री अमित कुमार निवासी [illegible] के [illegible]

भूमि को उससे सम्बन्धित समस्त अधिकार [illegible] सहित किसी भी अधिकार न रखता

को अपने पास रोके बिना चाहे उसका वर्णन इस विक्रय विलेख में किया गया हो अथवा न किया गया हो

स्वस्थ मस्तिष्क व निर्मल इन्द्रियों की दशा में अंकन रुपये 6,43,480/-(छ: लाख सैतालिस हजार चार सौ

अस्सी रुपये) कि जिसके आधे अंकन 321,740/- (रुपये तीन लाख इक्कीस हजार सात सौ चालीस

रुपये) होते है, के उपलक्ष में [illegible] श्री अमित कुमार निवासी 4, विजय नगर,

मेरठ को विक्रय कर दिया और समस्त [illegible] ही विभिन्न अवसरों पर नगद एवं चैक्स द्वारा

प्राप्त करके आज विक्रित भूमि [illegible] से [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

007841

24 JAN 2004

(5)

विक्रयाधिकारी बना दिया और अब मेरा कोई सम्बंध किसी प्रकार का विक्रीत भूमि से भविष्य के लिये शेष नहीं रह गया है और न होगा। अब इस भूमि में मेरा या मेरे उत्तराधिकारीगण आदि का कोई हक, स्वत्व लाभ या स्वत्व शेष नहीं रहा है। क्रेत्री महोदया को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह समस्त सरकारी अभिलेखों में अपना नाम स्वामी के रूप में अंकित करा लें तथा सम्बंधी में किसी भी [illegible] दस्तावेजों पर जहां कहीं भी मेरे हस्ताक्षरों की अब या भविष्य में आवश्यकता होगी मैं हस्ताक्षर करने को पाबन्द रहूँगी, जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि अब अथवा भविष्य में मैं विक्रेत्री व मेरे उत्तराधिकारीगण तथा सम्बन्धी रिश्तेदार या खानदानी, उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद विवाद उत्पन्न करें और उस वाद पत्र अथवा स्वामित्व में किसी वैधानिक त्रुटिवश अथवा दोष वश विक्रीत भूमि का कुल या अंश क्रेत्री महोदया के अधिकार स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकल जाये अथवा कोई नुकसान

क्रमशः

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.   Rs. 1000

एक हजार रुपये   ONE THOUSAND RUPEES

7842

2 4 [illegible] 2004

या भार विक्रीत भूमि पर [illegible] जाये तो ऐसी [illegible] वैधानिक दशा मे केता महोदय को अधिकार प्राप्त होगा कि वह अपना विक्रय मूल्य सम्पूर्ण या आंशिक [illegible] लागत जैसी भी दशा हो मुझ विक्रेता व मेरे उत्तराधिकारी गण की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार उचित जाने वापस प्राप्त कर ले किसी को कोई आपत्ति नही होगी। विक्रीत उपरोक्त भूमि स्थित [illegible] ग्राम [illegible]नगर, परगना तहसील व जिला मेरठ [illegible] खाली का [illegible] [illegible] केता को दे दिया है [illegible] मेरे उत्तराधिकारी तथा सम्बन्धी, रिश्तेदार व पुत्र पुत्री या पत्नि आदि का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का विक्रीत भूमि से भविष्य के लिये शेष नही रह गया है और न होगा । वास्तविक, कानूनी एवं भौतिक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ । यह [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] एवं वैधानिक एवं प्रचलन योग्य है । अतः यह विलेख लिख दिया गया कि प्रमाणित रहे और [illegible] समय पर काम आवे । इति ।

[illegible]

साक्ष हस्ताक्षर

[illegible]

INDIA NON JUDICIAL

Rs. 500

[illegible] FIVE HUNDRED RUPEES

(7)

विवरण मूल्य प्राप्ति :-

(1) अंकन रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख केवल) द्वारा एक किता चैक संख्या 0429565 दिनांक 25-01-1990 मौसूमा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया मेरठ प्राप्त किया।

(2) अंकन रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख केवल) द्वारा एक किता चैक संख्या [illegible] दिनांक 25-01-1990 मौसूमा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया मेरठ प्राप्त किया।

(3) अंकन रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार केवल) द्वारा एक किता चैक संख्या [illegible] दिनांक 20-05-1990 मौसूमा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया मेरठ प्राप्त किया।

(4) अंकन रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख केवल) द्वारा एक किता चैक संख्या [illegible] दिनांक 20-[illegible]-1990 मौसूमा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया मेरठ प्राप्त किया।

विक्रेता [illegible]

[illegible] साक्षीगण

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs.100

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

(5) अंकन रुपये 1,00,000/- (रुपये [illegible] केवल) द्वारा एक किता चैक संख्या [illegible] दिनांक 25-05-1996 मैसर्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मेरठ प्राप्त किया।

(6) अंकन रुपये 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार केवल) द्वारा एक किता चैक संख्या 611045 दिनांक 25-05-1996 मैसर्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मेरठ प्राप्त किया।

(7) अंकन रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार केवल) द्वारा एक किता चैक संख्या [illegible] दिनांक 14-01-1996 मैसर्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मेरठ प्राप्त किया।

(4)

(3) बकाया रुपये 75000/- (रुपये [illegible] हजार पाच सौ अस्सी केवल) द्वारा एक मिला

चैक संख्या [illegible] [illegible] प्राप्त किये ।

(4) [illegible] रुपये [illegible] [illegible] में प्राप्त किये ।

कुल रुपये [illegible]/- (रु. लाख [illegible] हजार पाच सौ अस्सी) प्राप्त किये ।

क्रमशः 5

सत्य प्रतिलिपि

[illegible]

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

[illegible]

[illegible] हस्ताक्षर हेतु किया जा रहा है।

गवाह:

(1) [illegible]

(2) [illegible]

[illegible] दिनांक [illegible]-2021 [illegible]

[illegible]

[illegible] सिविल [illegible]

प्रतिलिपि